रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1970/अग्रहायण 3, 1892

No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1970/AGRAHAYANA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

ORDER

New Delhi, the 24th November 1970

S.O. 3800/184/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Keshav Mills Co. Ltd., Petlad, an industrial undertakings in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to Public Interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, the Keshav Mills Co. Ltd., Petlad, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all direction issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(4) Lic. Pol./69.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1970

का० आ० 3800—18ए—/आई० डी० आर० ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि केशव मिल्स कं० लि०, पेटलाड नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य वस्त्र निगम (जिसे एतद्पोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जायेगा) को केशव मिल्स कं० लि०, पेटलाड नामक उपरोक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार सम्भालेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियक्ति को रद्द कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा ।

[सं० फ० 9(4) आई० पालिसी/69]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970